Annexure - XX

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779
फैक्स :
ई–मेल : rs_tolia@rediffmail.com

पत्रांक : 78 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक : 22 दिसम्बर 2005

सचिव, सूचना विभाग
उत्तरांचल शासन

इस पत्र के साथ आयोग को प्राप्त जी राम दास, पूर्व जिला जज का प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है जो मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित है. प्रार्थना पत्र का विषय सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति से संबंधित है.

2. ज्ञातव्य है कि उत्तरांचल सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 10 सूचना आयुक्त तक राज्य सरकार द्वारा तैनात किये जा सकते हैं. उत्तरांचल में कितने सूचना आयुक्तों की आवश्यकता होगी, वर्तमान में अनुमान लगाना कठिन है. प्रत्येक का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, होगी. आयोग को सक्रिय रूप से कार्य करने के सहायतार्थ अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य सरकार के विचारार्थ कुछ बिन्दु आयुक्तों के चयन के संबंध में प्रस्तुत किये जा रहे हैं.

3. सूचना आयुक्तों की अर्हताओं के बारे में अधिनियम में निम्न व्यवस्था दी गई है:

धारा 15 (4) : राज्य सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाएं या की जा सकती हैं.

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन और शासन में ज्ञान व्यापक और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे.

धारा 16 (5) (क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसको सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी, जो भारत के निर्वाचन आयुक्त की हैं.

(ख) राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो राज्य के मुख्य सचिव की हैं.

4. अधिनियम की धारा 15 और 16 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के स्तर को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया है. इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पदधारक कम से कम उस स्तर का हो जो भारत के निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता हो और इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त के पदधारक की अर्हताऐं किसी भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव स्तर की हों.

5. उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकालने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यदि राज्य सरकार को किसी पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी को आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर तैनात करने पर निर्णय लेना है तब राजकीय सेवाओं से सेवा निवृत्त व्यक्ति कम से कम मुख्य सचिव वेतनमान (रू. 26000.00 नियत) पर प्रोन्नति पाने के योग्य अवश्य हो. ऐसा अधिकारी राज्य सरकार में सामान्यतः प्रमुख सचिव स्तर (22400–24500) वेतनमान का होता है. इस प्रकार से राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पदो के लिए अर्ह अभ्यर्थी ऐसे स्तर के सेवा निवृत्त या उसके समतुल्य वेतनमान के हों. सूचना आयोग के सदस्य को मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर का होना ही उचित होगा जिससे आयोग अपने सदस्यों के माध्यम से उचित स्तर के कार्य निष्पादन की अपेक्षा कर सके. सामान्यतः राज्य सरकार में मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के योग्य अधिकारी कम से कम 30 वर्षों की उत्कृष्ठ सेवा के उपरान्त ही तैनात होने के लिए अर्ह होते हैं अतः राज्य सरकार यदि अन्य सेवाओं के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी पर विचार कर रही हो तो उसे या सेवारत अधिकारी न्यूनतम (22400–25400) वेतनमान के अधिकारी के समकक्ष तथा मुख्य सचिव के वेतनमान (26000. 00 नियत) पर प्रोन्नति के लिए पात्र होना चाहिए. उपयुक्त स्तर के वेतनमान का होने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सूचना आयुक्त के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिये अभ्यर्थी के पास उत्कृष्ठ स्तर का लगभग 3 दशकों का प्रशासनिक अनुभव भी उपलब्ध है. संक्षेप में, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों का चयन करते समय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उपयुक्त वेतनमान तथा समानुपातिक सेवा वर्षों के अनुभव को अन्य सेवाओं में कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त अधिकारियों से ही तुलना करते हुए अर्ह सूचना आयुक्तों की सूची पर शासन द्वारा तैनाती के लिए विचार करना उचित होगा.

6. इस प्रकार से कम से कम विभिन्न लोक सेवाओं में कार्यरत और सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचना आयुक्तों की तैनाती के लिए विचार करते समय राज्य सरकार के पास एक स्पष्ट मानक उपलब्ध हो जाता है और आयोग का अभिमत है कि उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर ही सूचना आयुक्तों की तैनाती पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए.

7. जहॉ तक अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञों की नियुक्ति सूचना आयुक्त के पद पर किये जाने का प्रश्न है, जिनमें विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता तथा जन माध्यम सम्मिलित हैं, वहॉ भी क्षेत्र विशेष में कम से कम 25–30 वर्षों का कार्य अनुभव तथा क्षेत्र विशेष में अभ्यर्थी के द्वारा आहरित या अर्जित किये जा रहे वेतन और भत्ते के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जानी उचित होगी. आयोग के संज्ञान में केवल समाज सेवा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वार्षिक आय को एक मानक के रूप में लेने में शिथिलता बरती जा सकती है किंतु वहॉ भी समाज सेवा का दीर्घकालीन अनुभव होना एक आवश्यक अर्हता होनी चाहिए.

8. सूचना आयुक्तों के चयन के संबंध में यह परामर्श केवल इस उद्देश्य से प्रेषित किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार को जहॉ एक ओर योग्य सूचना आयुक्तों का चयन करने में सुविधा रहे वहीं दूसरी ओर इस चयन प्रक्रिया में किसी आलोचना का अवसर उत्पन्न न हो.

9. इस पत्र के साथ श्री रामदास, पूर्व जिला जज का प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जा रहा है.

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त